बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
–: संकल्प :–

सं0सं0 यो0स्था01 / 4–15 / 2014 / यो0वि0,पटना दिनांक अप्रैल, 2025

श्री अजय कुमार, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज (सम्प्रति सेवानिवृत) को उनके जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापन की अवधि में एम0एस0डी0पी0 योजना अंतर्गत किशनगंज जिला में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु दिए गए प्रस्ताव में बरती गई अनियमितता के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने पत्रांक 581 दिनांक 20.12.2014 के माध्यम से आरोप पत्र गठन करते हुए विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।

प्राप्त आरोप पत्र पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा के उपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए गठित आरोप की समुचित जांच हेतु इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17(2) में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर श्री अजय कुमार के विरूद्ध विभाग द्वारा निम्न 4 (चार) आरोप पुनर्गठित किये गए :–

(1) श्री अजय कुमार, जिला योजना पदाधिकारी द्वारा अपने जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापन की अवधि में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत ठाकुरगज प्रखण्ड के लिए स्वीकृत एवं कार्यान्वित योजनाओं की जांच अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज से करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–20 / अनु0गो0 दिनांक 16.11.2013 द्वारा श्री अजय कुमार तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा योजना की स्वीकृति देने में अनियमितता की गयी एवं सतर्कता नहीं बरती गयी।

अन्य प्रखंडों में बड़ी संख्या में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनहीन रहने के बावजूद एम0एस0डी0पी0 योजनांतर्गत ठाकुरगंज में मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव देकर अनुमोदन प्राप्त किया गया। साथ ही एम0एस0डी0पी0 योजनांतर्गत कुल स्वीकृति प्राप्त 594 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से सबसे अधिक ठाकुरगंज प्रखण्ड में 213 ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव देकर अनुमोदन प्राप्त किया गया। यह कृत्य इनके द्वारा की गयी अनियमितता को प्रमाणित करता है।

(2) श्री कुमार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एम0एस0डी0पी0, मुख्यमंत्री जिला विकास योजना एवं 13वीं वित्त योजनांतर्गत कार्यान्वित करायी जा रही आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वीकृति देने के निमित्त उपस्थापन के क्रम में श्री कुमार के द्वारा यह नहीं देखा गया कि एक ही योजना अलग–अलग शीर्ष के तहत स्वीकृति प्रदत है अथवा नही। इस तरह डुप्लीकेसी रोकने में कोई सतकर्ता नहीं बरती गयी और न ही अन्य विभागों (डी0आर0डी0ए0) आदि से जानकारी हेतु समन्वय स्थापित किया गया।

स्वीकृत एम0एस0डी0पी0 योजनांतर्गत एक ही केन्द्र को एक बार केन्द्र संख्या के आधार पर दी गयी। पुनः उसी केन्द्र को वार्ड संख्या के आधार पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

देकर अनुमोदन प्राप्त की गयी। एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत गैर संचालित केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की गयी है। इनके द्वारा यह अनियमित कार्रवाई की गयी।

(3) श्री कुमार द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनांतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के संदर्भ में जिला योजना कार्यालय के पत्रांक 507 दिनांक 25.10.2011 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश था कि प्रखण्ड में पदस्थापित सी0डी0पी0ओ0 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण हेतु योजना प्रस्ताव के साथ समर्पित करें। श्री कुमार के द्वारा योजना प्रस्ताव की अनुशंसा करते समय सी0डी0पी0ओ0 प्रतिवेदन की मांग नहीं की गयी एवं आदेश की अवहेलना की गयी।

(4) उक्त से स्पष्ट है कि श्री अजय कुमार ने जिला योजना कार्यालय, किशनगंज में पदस्थापन के दौरान एम0एस0डी0पी0 योजना के क्रियान्वयन में विभागीय दिशानिर्देश/जिला पदाधिकारी से प्राप्त निदेशों का उल्लंघन किया है। उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम–3 (1) का उल्लंघन है।

उपरोक्त गठित आरोपों पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप संख्या 1, 2 तथा 4 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया तथा आरोप संख्या 3 को प्रमाणित नहीं पाया गया।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–18(3) के तहत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए इनसे लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की मांग की गई। इनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) में अपने बचाव में कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया।

तदोपरांत श्री अजय कुमार के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा जाँच प्रतिवेदन पर आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लेखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की सम्यक् समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्री अजय कुमार अपने जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के पद पर पदस्थापन की अवधि में एम0एस0डी0पी0 योजना में बरती गई अनियमितता के लिए दोषी पाए गये।

उक्त के आलोक में श्री अजय कुमार, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14(vi) के तहत **संचयी प्रभाव से अगली दो वेतन वृद्धियों पर रोक संबंधी दंड** अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री कुमार ने पत्रांक शून्य दिनांक 20.05.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के तहत पुनर्विलोकन अभ्योवदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उक्त चार आरोप के संदर्भ में कंडिकावार अपना बचाव बयान/लिखित अभिकथन अंकित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–14(vi) के तहत संचयी प्रभाव से अगली दो वेतन वृद्धियों पर रोक सबंधी अधिरोपित दंड से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि स्थल चयन का प्रस्ताव प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ दिया गया है कि "उक्त

आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्व में किसी भी योजना द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है''। जहाँ तक एक हीं प्रखंड में अधिक संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्र का चयन करने का प्रश्न हैं, तो अभिलेखबद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि किसी प्रखंड में अधिकतम कितनी संख्या में आंगनबाड़ी का चयन किया जाना है–उसका उल्लेख नहीं है। कार्यादेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया है। ऐसी स्थिति में बाल विकास परियोजना को कार्यादेश की प्रति नहीं देने का आरोप भी अप्रासंगिक है।

श्री अजय कुमार, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित पुर्नर्विलोकन अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–214 दिनांक–10.01.2024 से इनके विरूद्ध अधिरोपित दंड से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 का नियम–14(vi) के तहत विभागीय संकल्प संख्या–214 दिनांक–10.01.2024 द्वारा संचयी प्रभाव से अगली दो वेतन वृद्धियों पर रोक संबंधी अधिरोपित दंड से मुक्त किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(रविश किशोर)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था01/4–15/2014 /यो0वि0,पटना दिनांक अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था01/4–15/2014 /यो0वि0,पटना दिनांक अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (मुख्यालय स्थापना), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार, जिला योजना पदाधिकारी सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : यो0स्था01/4–15/2014 – 1903/यो0वि0,पटना दिनांक 02 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2.4.25

सरकार के संयुक्त सचिव